क्रम–संख्या–140

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–19
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
परिनियत आदेश

लखनऊ, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 2024
22 श्रावण, शक सम्वत् 1946

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या-1116/वि0प0-02सं0/2024
लखनऊ, दिनांक 13 अगस्त, 2024

———————

अधिसूचना

प0आ0-208

उत्तर प्रदेश की माननीया राज्यपाल का दिनांक 13 अगस्त, 2024 का निम्न आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

'' 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष 2024 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करती हूँ।

दिनांक : 13 अगस्त, 2024

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।''

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 27 राजपत्र (186)-13-08-2024-585+25 प्रतियां (कम्प्यूटर)।